

प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप ) अभियान वर्ष - 2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 348 सन 2022

अनवान :-

1. छोटूलाल पुत्र बलवन्त जाति जांगिड निवासी नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मोहरसिंह सुथार पुत्र बलवन्तसिंह जाति जांगिड निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
2. सन्तरो पत्नी बलवन्त जाति जांगिड निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
3. सुमन पुत्री बलवन्त जाति जांगिड निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88  
उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 18/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 76/75 की कुल 10.2300 हैक् भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि बलवन्त पुत्र दलूराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बलवन्त पुत्र दलूराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है बलवन्त पुत्र दलूराम का देहान्त हो चुका है बलवन्त पुत्र दलूराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो बलवन्त पुत्र दलूराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा से अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहन है एवं बलवन्त पुत्र दलूराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की बलवन्त पुत्र दलूराम जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकवाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बलवन्त पुत्र दलूराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है बलवन्त पुत्र दलूराम का देहान्त हो चुका है बलवन्त पुत्र दलूराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो बलवन्त पुत्र दलूराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा से अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहन है एवं बलवन्त पुत्र दलूराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी

नोहर

संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों को समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसाल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेशकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसाल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात वादी के निवेदन पर पत्रावली प्रशासन गांव के (फोलोअप) अभियान वर्ष - 2022 में प्रस्तुत हुई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 76/75 की कुल 10.2300 हैक्ठु भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि बलवन्त पुत्र दलूराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बलवन्त पुत्र दलूराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है बलवन्त पुत्र दलूराम का देहान्त हो चुका है बलवन्त पुत्र दलूराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो बलवन्त पुत्र दलूराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा से अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहन है एवं बलवन्त पुत्र दलूराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद/कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेशकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 76/75 की कुल 10.2300 हैक्ठु भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि बलवन्त पुत्र दलूराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बलवन्त पुत्र दलूराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है बलवन्त पुत्र दलूराम का देहान्त हो चुका है बलवन्त पुत्र दलूराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो बलवन्त पुत्र दलूराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा से अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहन है एवं बलवन्त पुत्र दलूराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

22  
सुप्रीम कोर्ट  
नई दिल्ली

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेशेकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 76/75 की कुल 10.2300 हैक् भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि बलवन्त पुत्र दलूराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1, 2 तीनों बहिब के खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
उनाहर सिंहनुमानगढ

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2022  
कैम्प कोर्ट.....

प्रशासन गांव के संग (फोलोअप ) अभियान वर्ष - 2022  
पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जायदा दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. छोटूलाल पुत्र बलवन्त जाति जांगिड निवासी नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

1. मोहरसिंह सुथार पुत्र बलवन्तसिंह जाति जांगिड निवासी नगरासरी तहसील नोहर ।
2. सन्तरो पत्नी बलवन्त जाति जांगिड निवासी नगरासरी तहसील नोहर ।
3. सुमन पुत्री बलवन्त जाति जांगिड निवासी नगरासरी तहसील नोहर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 348 सन 2022 निर्णय दिनांक- 18/05/2022

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग (फोलोअप ) अभियान वर्ष - 2022 में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 76/75 की कुल 10.2300 हैव भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि बलवन्त पुत्र दलूराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1, 2 तीनों बहिव के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप ) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व )  
नोहर (हनुमानगढ )  
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2022  
कैम्प कोर्ट.....